सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल

श्री. अलि यावर जंग

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का बम्बई में संयुक्त अधिवेशन

११ फरवरी १९७४

माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यो,

मुझे आपको फिर से विधानमंडल के बजट के इजलास में स्वागत करते हुए खुशी होती है। इस इजलास से शासन को मौका मिलता है कि उसने साल भर में जो कुछ काम किया है और अबकी साल जो काम करना चाहता है, आपके इल्म में ले आये। मुझे आशा है कि आपका यह इजलास फायदामंद होगा।

२. जैसाकि आप सब जानते हैं पिछले तीन साल के अकाल से राज्य को एक बड़े कठिन समय का सामना करना पड़ा। शासन को जनता की तकलीफ कम करने के लिए सहायता के काम ऐसे बड़े पैमाने पर शुरु करने पड़े जो पहले कभी नहीं किये गये थे। जो तकलीफ जनता को सहनी पड़ी उसकी सख्ती का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि सितम्बर १९७१ में १४.६ लाख और ३१ मार्च १९७३ में ३५ लाख से लेकर ३१ मई १९७३ में ५० लाख आदमी मजदूरी कमाने के लिए सहायता के काम करने के लिए आये। अकाल के उस जमाने में तो यह भी देखा गया है कि कृषि के कामगारों के अलावा वह काश्तकार भी जिनकी काफी जमीनें थीं, सहायता के इन सरकारी कामों के जरिये मजदूरी कमाने के लिए आते थे। राज्य की सारी जनता ने अकाल की इस हालत का मुकाबला करने में जिस हिम्मत और मजबूत इरादे से काम लिया उसकी जितनी तारीफ की जाय कम है। इन कामों में भारत सरकार ने भी हमारी हुकूमत की बडी मदद की जिसको मिलाकर हमने १९७१–७२ में ४१.९५ करोड़, १९७२–७३ में ७५.७२ करोड़ और इस साल ३१ दिसम्बर तक हमने कुल १३५.८८ करोड़ रुपये सहायता के कार्यक्रमों पर खर्च किये हैं।

अकाल के तीन वर्षों में बड़ी तादाद ऐसे कामों की शुरु की गयी जैसे पर्कोलेशन और पानी के जमा करने के टैंक और कम्यूनिटी के कुएं। उनको पूरा करने के लिए अभी और काफी रुपया लगाना होगा और जब वह पूरे हो जायंगे तो राज्य अकाल की ऐसी सूरतों का अगर वह कभी फिरसे पैदा हों पहले से बहुत बेहतर मुकाबला कर सकेगा।

३. अनाज की कमी और कीमतों के बढ़ने से १९७३–७४ भर में हालत बहुत ही नाजुक रही और अब भी है। उसकी वजह यह है कि फेयर प्राइस शॉप्स से माल हाथोंहाथ बिक गया और खुले बाजारों में जो अनाज जमा था, वह कम होने लगा क्योंकि एकके बाद दूसरे इस तीसरे साल में भी फसल खराब हो चुकी थी और जो राज्य अपनी जरुरत से ज्यादा पैदावार रखते थे उन्होंने अनाज के बाहर जाने को रोक दिया। अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए शासन ने एक तरफ तो धान, चावल, जवार और नागली को काश्तकारों से खरीदने की अपनी मॉनोपली प्रोक्यूरमेंट की स्कीम को पिछले साल की तरह जारी रखा और दूसरी तरफ उसे गेहूं पर लागू करते हुए यह भी फैसला किया कि इस फसल में बाजरे को भी लेवी के जरिये मोल लिया जाय। उसने हिन्द सरकार से भी कई बार मुतालिबा किया कि महाराष्ट्र को ज्यादा अनाज पहुंचाया जाय मगर वह हमको खासकर गेहूं और चावल उतना नहीं दे सकी जितना कि हमने माँगा।

धान, जवार और बाजरे की इस फसल में प्रोक्यूरमेंट के कई कार्यक्रमों को शासन ने बहुत जोरों से चलाया है और हिन्द सरकार ने चावल के लिए दो लाख टन और मोटे अनाज के लिए ४ लाख टन की सीमा मुकरर की है। खरीफ की फसल के शुरु में तो हमने इससे भी बढ़कर सीमा रक्खी थी क्योंकि आशा थी कि फसल अच्छी होगी मगर बदनसीबी से अक्तूबर की बहुत ज्यादा और बेवख्त बारिश और जवार की फसल पर मीट्ज फ्लाई के धावे से हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके होते हुए भी हमारी प्रोक्यूरमेंट की कोशिशें कम नहीं हुई और इस जनवरी के आखिर तक धान के १·७२ लाख टन, जवार के ४४,००० टन और बाजरे के ५४,००० टन हासिल किये गये। फिर भी इस बात को देखते हुए कि हमको साल भर में अनाज की सरकारी तौर से बिक्री के लिए कमसे कम २४ लाख टन सालाना चाहिए, हमको कमी पेश आयेगी। इसीलिए भारत सरकार से यह दरखास्त करते हुए कि वह हमारे २ लाख टन के महाना हिस्से को जारी रखे हमने यह भी खासतौर से मुतालिबा किया है कि मोटे अनाज की बिला रोकटोक मुल्क की एकसे दूसरी जगह लाने ले जाने की हमको इजाजत दे ताकि हमारी जनता खुले बाजार में उस मिकदार से बढ़कर जो उसे फेयर प्राइस शॉप से मिलती है अनाज खरीद सके। हमारी इस दरखास्त के जबाब में हिन्द सरकार ने हाल में इसकी इजाजत दी है कि कमी वाले राज्यों में हिन्द सरकार के एजेन्टों के जरिये से लोग अगर चाहें तो बाहर से मोटा अनाज मंगवा कर खरीदें। इस इजाजत के बिना पर हमने यह इंतजाम किया है कि पंजाब, हरयाणा और दूसरे राज्यों के मंजूर किये हुए तिजारती संघठनों और सहकारी इदारों से जवार, बाजरा और मकई खरीदें। उसके साथ साथ केन्द्र सरकार के मशविरे पर हमने सिवाय बंबई के राशनिंग इलाके के राज्य भर में एक जिले से दूसरे जिले में लेवी अदा किये हुए जवार के ले जाने पर रोकथाम खत्म कर दी है। बंबई के सिवा बाजरे और गेहूं के इस तरह एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर तो पहले भी कोई रोकटोक नहीं थी। अब उम्मीद की जा सकती है कि मोटे अनाज के इस तरह ज्यादा मिकदार में खुले बाजार में मिल सकने से मौजूदा मुश्किल हालत संभल जायगी।

४. कीमतों के बढ़ जाने ने हुकूमत को बहुत परेशान किया। उनके बढ़ने के कई कारण हैं जो सारे हिन्दुस्तान में लागू हैं। खाने की कमी और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो फकत अनाज ही को नहीं बल्कि पकवान के तेल, शक्कर, दूध जैसी जरूरी चीजों को भी ज्यादा महंगा कर रही है, पब्लिक में हेजान पैदा हो गया है। इस हालत का मुकाबला करने के लिए शासन ने कंट्रोल के एहकाम के तहत होर्डर्स और बेजा मुनाफा लेने वालों पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं और बंबई शहर में डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स और सारे राज्य में मेन्टेनेन्स ऑफ इन्टरनल सेक्यूरिटी एक्ट से काम लिया है। अगस्त १९७३ में ६ बड़ी नुमाइन्दा पैनलें कीमतों के मुकरर करने के लिए कायम की गयीं जिनके सोच विचार और सिफारिश से बंबई शहर में डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के तहत चंद जरुरी चीजों की जिनमें होटलों का खाना भी शरीक था १६ अगस्त से अक्तूबर १९७३ के अखिर तक किमतें मुकरर कर दी गयीं। बाजरे और रोटी की कीमतों पर तो उस मुद्दत के बाद भी कन्ट्रोल जारी रहा। इन तदवीरों से कीमतों का बढ़ना किसी कदर कम हो गया। उसके साथ साथ यह कोशिश भी की गयी कि पकवान का तेल और वनस्पति की बिक्री फेयर प्राइस शॉप्स के जरिये से की जाय और राज्य में कन्ट्रोल किया हुआ कपड़ा ११३० मंजूर की हुई दुकानों ही में बेचा जाय। इसमें कोई शक नहीं कि अब भी बढ़ती हुई कीमतें सबको परेशान कर रही है और इस बीच में पेट्रोल और पेट्रोलियम से बनायी हुई चीजों की बावत अन्तर्राष्ट्रीय संकट ने एक बिलकुल नयी समस्या पैदा कर दी।

५. महाराष्ट्र रॉ कॉटन (प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग एण्ड मारकेटिंग) एक्ट, १९७१, १ ली अगस्त १९७२ से लागू किया गया ताकि अलावा और बातों के राज्य के रुई के काश्तकारों को उनकी पैदावार के लिए फायदामंद कीमतें मिलें। इस स्कीम से १९७२-७३ की फसल के जमाने में यह अच्छा असर हुआ कि रुई के काश्तकारों को फकत हुकूमत की गॉरंटी की हुई किमतें ही नहीं मिलीं बल्कि स्कीम से जो मुनाफा हुआ उसका भी उनको काफी बोनस मिला।

चूंकि हमारे पड़ोस के राज्यों में १९७३-७४ की फसल के जमाने में कपास हमारी गॉरंटी की हुई किमतों से भी ज्यादा कीमतों पर बिक रहा था इसलिए हमारे रुई के काश्तकार अपना कपास सरकारी केन्द्रों को नहीं देना चाहते थे। जिस कानून का मैंने जिक्र किया उसका मंशा यह है कि शासन गॉरंटी की हुई कीमतों पर कपास मोल ले जो केन्द्र सरकार के मशविरे से मुकरर की गयी है और उसके बाद जब कपास को सुधारा, काटा और बेच दिया जाय तो उसका फायदा हमारे कपास उगाने वालों को बोनस की शक्ल में मिले।

अब इस मामले में हर पहलू से फिर सोच विचार के बाद यह फैसला किया गया है कि अगर रुई के काश्तकारों को इस कानून से अलग रहकर ज्यादा कीमतें मिलती हों तो उनको अपना कपास राज्य के अन्दर या बाहर बेचने की इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं है, चूनाचे इस गरज से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसके जरिये से शासन उस कानून के १७, १८, १९, २०, २१ और ४३ (१) सेक्शनों को जबतक चाहे मुलतवी रख सकेगा और इस बीच में इसका भी इंतजाम कर सकेगा कि कपास के उगाने वाले अपनी पैदावर को ऐसे केन्द्रों में अपने से लाकर पेश करें जिनको शासन बताये। ये ऑर्डिनेंस ३० जून १९७४ तक जारी रहेगा मगर मुमकिन है कि अगर जरुरत हो तो उससे पहले भी जो सेक्शन इस तरह मुलतवी किये गय हैं उनको फिरसे लागू कर दिया जाय।

६. १९७२-७३ चूंकि अकाल का तीसरा साल था इसलिए कृषि की पैदावार उस साल सबसे कम हुई। जो मजदूर उसके कारण काम के लिए आये उनको ऐसे कामों पर लगाया गया जिनसे कृषि की बुनियाद मजबूत हो। इस तरह अप्रैल १९७२ से जून १९७३ तक ११.९१ लाख हेक्टर में कन्टूर/ग्रेडेड बंडिग पूरी की गयी, १,२१६ नल्लों पर बंडिंग की गयी, १३,१७८ हेक्टर जमीन को धान की काश्त के लिए तैयार किया गया और ७,८५८ हेक्टर जमीन काजू की काश्त के काबिल बनायी गयी। ८७,४२५ हेक्टर जमीन पर आयाकट के जरिये से विकास के काम शुरु किये गये, २.२३ लाख हेक्टर में खेती की नहरें बनायीं गयीं और एक बड़ी तादाद में लिफ्ट इरिगेशन, परकोलेशन और सिंचाई के टँक बनाये गये। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये हिंद सरकार ने भी इमर्जेन्सी के कार्यक्रम के लिए करीब ३० करोड़ रुपया कर्ज दिया।

१९७३-७४ यूं तो अच्छे मानसून का साल था मगर बरसात का फैलाव जैसा कि होना चाहिए था नहीं हुआ और शुरु शुरु कई दिन पानी न पड़ने से बीज नहीं बोये जा सके। आखिर जब पानी पड़ने लगा तो इतना पड़ा और उससे तरी इस तरह बढ़ी कि फसल पर बुरा असर हुआ और पैदावार कीड़ों की शिकार हुई खासकर खरीफ का जवार जिसपर मीट्जफ्लाई ने हमला किया। मानसून के इन हालात ने जवार, बाजरा और गेहूं की काश्त के रकबे को बढ़ाया और मूंगफली और रुई के रकबे को घटा दिया। फिरभी १९७३-७४ कृषि का एक अच्छा साल समझा जा सकता है और अब अनाज की पैदावार शायद ७२ लाख टन से कुछ ज्यादा ही हो जिसका दाना ६६ लाख टन के करीब होगा।

केमिकल फर्टिलाइजर्स की अब भी कमी है और चंद साल तक शायद ये कमी बाकी रहे। इसलिए हमको जितना भी मिलता है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और खाद के दूसरे जरियों को भी काम में लाना पड़ेगा जैसे मवेशी और कूड़े-कड़कट की खाद और इसी तरह मिलीजुली और फूटी हुई खुराक का ज्यादा इस्तमाल।

पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में हमको आशा है कि हम वर्ल्ड बैंक के उन प्रोजेक्टों को चला सकेंगे जो शोलापुर और अहमदनगर के अकाली जिलों के लिए तजवीज किये गये हैं। उनके अलावा दो और प्रोजेक्ट के बारे में इस वक्त वर्ल्ड बैंक से बातचीत हो रही है जिनमें से एक अमरावती जिले का इन्टीग्रेटेड कॉटन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और दूसरा विदर्भ के बाज जिलों के लिए सीड प्रोजेक्ट है।

कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा हाइब्रीड और दूसरी ऐसी किस्मों की काश्त को भी बढ़ाना होगा जिनसे ज्यादा उत्पादन मिलता हो। आने वाले खरीफ के मोसम के लिए हमने बड़ी ऊंची सीमाएं मुकरर की हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको पूरा करें मसलन ५ लाख हेक्टर जमीन में बड़ी उत्पादन वाली धान की किस्में, ७ लाख हेक्टर जमीन में हाइब्रीड जवार, और ९ लाख हेक्टर जमीन में एच–४ वाली रुई।

७. इस वक्त महाराष्ट्र में सिंचाई का यह हाल है कि हम हिन्दुस्तान भर में सिवाय एक और राज्य के सबसे पीछे हैं। इसलिए पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में शासन ने एक बहुत बढ़ा कार्यक्रम सिंचाई के विकास का अपने सर लिया है। हमने अपनी योजना में इस बाबत जो सीमाएँ मुकरर की हैं उनको पूरा करने और सिंचाई के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक इरिगेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड कायम किया है जो २६ नवम्बर १९७३ को कंपनीज एक्ट १९५६ के तहत रजिस्टर्ड किया गया और जिसकी शेयर पूंजी २० करोड़ है।

शुरु में ये कार्पोरेशन उन लिफ्ट इरिगेशन की स्कीमों को पूरा करेगा जिनको शासन ने १९७२ में रबी के क्रेश कॅम्पेन के लिए तजवीज किया था और जो अब कार्पोरेशन के जिम्मे कर दी गयी है। कार्पोरेशन नयी लिफ्ट इरिगेशन और दूसरी सिंचाई की स्कीमों की भी जांच करेगा और उनको चलायेगा। वह खासतौर से सिंचाई के उन प्राजेक्टों के लिए जो हुकूमत ने शुरु किये हैं निमार्ण के कामगारों की एक ऐसी जमियत तैयार करेगा जो ठेका पर नहरें और बांध जैसे कामों के लिए हमेशा तैयार मिल सकेंगी। बहुत जल्द कानून का एक मस्विदा आपके सामने पेश किया जायगा जिसके जरिये से सिंचाई के मौजूदा कानूनों में जरुरी तब्दीलियाँ की जायंगी ताकि कार्पोरेशन अपना यह सारा काम अंजाम दे सके।

८. सिंचाई के प्राजेक्टों को आगे बढ़ाने और चलाने के लिए भारत सरकार ने सिफारिश की है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज कायम की जायं और केबिनेट की एक सब-कमेटी उनके काम की निगरानी करे चूनाचे एक ऐसी ही सब-कमेटी मुख्य मंत्री की सदारत में बन चुकी है। सिंचाई की बाज बड़ी स्कीमों के ताल्लुक से (जैसे—पुर्णा-जायकवाडी, गिर्णा, अपरतापी, भीमा, कृष्णा, पेंचबाग इतियाडोह) ऐसी अथॉरिटीज के कायम करने और हर जिले में दूसरे प्रॉजेक्टों के ताल्लुक से ऐसी ही अथॉरिटीज के बनाये जाने पर इस वक्त हुकूमत गौर कर रही है। यह अथॉरिटीज बजाय इसके कि फकत महकमों के काम को एक दूसरे से जोड़े उन स्कीमों को महकमों के ओहदेदारों की मदद से खुद चालू करेगी। असल मकसद यह होगा कि सिंचाईके जहाँ भी इमकान हों उनसे पूरा पूरा काम लिया जाय, कृषि की पैदावार को ज्यादा बढ़ाया जाय और सिंचाई के प्राजेक्टों से जो इलाके सयराब होते हों उनका हर पहलू से सुलझा हुआ विकास हो।

९. हमने यह बहुत बड़ा कदम उठाया, जो देश में अपनेतई सबसे पहला है, कि महाराष्ट्र और मध्य-प्रदेश के आपस के जो सिंचाई के और हाइड्रो इलेक्ट्रीक प्राजेक्ट हैं उनके लिए एक इन्टर-स्टेट कन्ट्रोल बोर्ड कायम कर दिया।

१०. आप तो जानते हैं कि कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा के पानी की तकसीम के बारे में राज्यों में जो विवाद है उसका फैसला करने के लिए केन्द्र सरकार ने तीन अलग अलग ट्राइब्यूनल मुकरर किये हैं। कृष्णा के ट्राइब्यूनल ने २४ दिसम्बर १९७३ को अपना फैसला जारी कर दिया। उसकी रू से उस दरिया का ७५ मुस्तकिल पानी विजयवाडा तक २०६० टी. एम. सी. करार दिया गया है जिसमें से ५६५ टी. एम. सी. महाराष्ट्र को, ६९५ कर्नाटक को और ८०० आंध्र-प्रदेश को मिलेंगे।

११. जहाँ तक कि राज्य में बिजली देने का सवाल है हमको साल के शुरु में कमी का सामना करना पड़ा मगर ज्योंहि बरसात बराबर पड़ने लगी ये हालत सुधर गयी और अक्तूबर १९७२ में उसके इस्तेमाल पर जो रोकटोक लगायी गयी थी वह ९ जुलाई १९७३ को उठा दी गयी।

बिजली की कमी के दौरान में कामगारों, औद्योगिक संघठनों और सब दूसरों के हमारे साथ हाथ बटाने से हम एक मुश्किल दौर से उत्पादन और रोजगार पर बुरा असर पड़े बगैर गुजर सके। आनेवाला साल हमारी पांचवीं पंच-वर्षीय योजना का पहला साल होगा। कृषि, उद्योग और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती हुई जरुरतों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आइंदा पांच साल के लिए एक बड़ी भारी योजना बनायी है। हम यह तो जानते हैं कि तेल की कमी और डीजल आयल को बचा कर इस्तेमाल करने की जरुरत हमको मजबूर करेगी कि बिजली की सिंचाई को काफी बढ़ाया जाय। इस बढ़ती हुई जरुरत को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का इरादा है कि कोराडी, नासिक, भुसावल, खापरखेडा और परली के पावर स्टेशनों की कूवत को बढ़ाया जाय। इनमें से पहले के तीन स्टेशनों को बड़ा करने की स्कीमें हिंद सरकार ने मंजूर कर दी हैं। और बाकी दो की मंजूरी का इन्तजार है। उनके अलावा बोर्ड की यह भी तजवीज है कि उमरेर में एक नया पावर स्टेशन बनाया जाय और चन्द्रपुर में एक सुपर-थर्मल पावर स्टेशन खड़ा किया जाय।

भट्ठी के तेल, पेट्रोल, डेजिल आयल और फर्टिलाइजर की कमी की वजह से हमको ज्यादातर अपने राज्य के कोयले के साधनों पर तकिया करना पड़ेगा, जो खुशनसीबी से भरपुर है, ताकि हम उद्योग, कृषि और घरेलू और मनोरंजन की जरुरतों के लिए बिजली की कूवत पहुंचा सकें। शासन ने इसलिए एक माइनिंग कार्पोरेशन ५ करोड़ के सरमाये से कायम किया है और जनवरी १९७४ में उसे २० लाख बतौर इक्वीटी दिया है। बिजली के पैदा करने और दुसरे औद्योगिक कामों के लिए कोयले की सरबराही का काम इसी कार्पोरेशन के सुपुर्द किया गया है जो नॅशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन और कोल माइन्स अथॉरिटी की कोशिशों में इजाफा करेगा।

१२. उद्योग को जल्द से जल्द राज्यभर में फैला देने और हमारे सब इलाकों के विकास को एक दूसरे के बराबर बना देने के लिए शासन ने अपनी इन्सेन्टिव की मिलवा स्कीम की फिरसे जांच की जो चंद सालों से चली आ रही थी। चूनाचे १५ अगस्त १९७३ से उसने एक नयी दरजेवारी स्कीम इसी सिलसिले में जारी की है जिसका मंशा यह है कि औद्योगिक इकाइयों को खास रिआयतें दी जायं ताकि वह बंबई-पूना के विकसित इलाकों के बाहर अविकसित इलाकों में चली जाय। इस

स्कीम के तहत खासतौर से उन उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा और बड़ी मुद्दतों के लिए इन्सेन्टिव दिये जायेंगे जो राज्य के पिछड़े इलाकों में कायम हों।

१३. राज्य ने अपना ही एक सरकारी महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड बनाया था ताकि कपड़े की वह बीमार गिरनियां चलायी जा सकें जिनको हिंद सरकार और हमारे शासन ने समय समय पर मुखतलिफ कानूनों के तहत निगरानी में ले लिया था। इस कार्पोरेशन में फकत यही नहीं कि ५२,००० कामगारों को २४ गिरनियों में रोजगार पर लगा रक्खा बल्कि खुद गिरनियों को कामयाबी के साथ अपने पांव पर भी खड़ा कर दिया और मुनाफे के साथ तिजारती कारोबार के काबिल बना दिया।

१४. रेलवे बोर्ड ने हमारी हुकूमत को इत्तला दी है कि ट्राक्सन मोटरस् के रेलवे के जरिये से बनाने का केन्द्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है वह नासिक में कायम किया जायगा। राज्य की सरकार ने उसको जरुरी आसानियां पहुंचाना स्वीकार किया है।

हमारी ही बारबार कोशिशों से हम अपनी इस तजवीज में कामयाब हो गये हैं कि अल्युमिनियम का प्राजेक्ट ७८ करोड़ की लागत से रत्नागिरी में कायम किया जाय और उसे पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में शरीक कर लिया गया है।

बंबई की बंदरगाह बंबई शहर के विकास की असल बुनियाद है और वह माली एतबार से सारे हिन्दुस्तान का मरकज है। अगर किसी वजह से यह बंदरगाह पच्छिमी हिन्दुस्तान के आवागमन को न संभाल सके तो उससे पच्छिमी इलाके बल्कि सारे देश की आर्थिकी पर बुरा असर पड़ेगा। इस तरह बंबई की बंदरगाह का नवीकरण एक कौमी जरुरत है। नवीकरण की कई सूरतें थीं जिनमें से हमने इसे सबसे बेहतर समझा कि बंबई की बंदरगाह के उस पार महाद्वीप पर न्हावा-शेवा में एक नयी बंदरगाह बनायी जाय। इस बंदरगाह से बंबई शहर के घने रास्तों और रेलों ही को सहायता नहीं पहुंचेगी बल्कि तिजारती और औद्योगिक कामों के लिए भी बंदरगाह के पूर्वी तरफ एक केन्द्र मिल जायगा जिससे अतराफ के इलाकों का ज्यादा विकास हो सकेगा। उसकी वजह से आबादी का जो बोझ इस वक्त बंबई शहर पर पड़ रहा है वह भी एक हद तक हल्का हो जायगा। मुझे आपसे यह कहते हुए खुशी होती है कि हम इस प्रोजेक्ट को पांचवी पंच-वर्षीय योजना में शरीक कर देने में कामयाब हो गये हैं। उसकी लागत ८५ करोड़ होगी।

१५. जैसा कि आपको मालूम है कोंकण कोस्टल पैसेंजर शिपिंग को नेशनलाइज्ड कर लिया गया है और १४ नवम्बर १९७३ से पैसेंजर सरविस का काम मुगल लाइन्स कर रही है। इस सिलसिले में रत्नागिरी में भगवती बंदरगाह की तामीर के काम का पहला हिस्सा खत्म हो चुका है और अब उसके बढ़ाने की तजवीज को भी मंजूर कर दिया गया है ताकि वह १९०० फीट लंबाई पर पानी थाम सके। महाराष्ट्र स्टेट पोर्टस् अथॉरिटी ने भगवती की बंदरगाह के लिए अपने कंसल्टेन्टस से एक मास्टर प्लान भी बनवाया है जिसके नक्शों को बिना पर मुसाफिरों और माल के उतारने का चबूतरा बनाया जायगा। उसकी तामीर का काम इसी साल शुरु होगा। इस कुल मोसमी बंदरगाह के बनने से कोंकण का सारा इलाका समुन्दरी आवागमन के लिए खुल जायगा और उसके विकास को बड़ी तरक्की होगी।

१६. पुलिस और जेल के अमले के लिए घर बनाने और उनके कल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के लिए शासन ने एक पुलिस हाउसिंग एण्ड वेलफेयर कार्पोरेशन कायम करने का फैसला किया है।

१७. १९७३-७४ का साल चौथी पंच-वर्षीय योजना का आखिरी साल है। उस योजना की लागत प्लानिंग कमिशन ने ८९८ करोड़ मुकरर की थी जिसको शासन की कोशिशों से ९७५ करोड़ तक बढ़ा दिया गया।

राज्य की पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के बारे में अगस्त १९७३ में प्लानिंग कमिशन से बातचीत हुई और उसके बाद मुख्य मंत्री ने प्लानिंग मिनिस्टर से भी उसी बारे में बात की। प्लानिंग कमिशन ने हमारी योजना के लिए १९५५ करोड़ की लागत रक्खी है मगर हम अभी उस पर अपने साधनों की रोशनी में प्लानिंग कमिशन के मशविरे के साथ गौर कर रहे हैं।

आप जानते हैं कि हमने यह फैसला किया कि अपनी योजना जिलावारी बुनियाद पर बनायें और हर जिले के लिए अलहदा पर्सपेक्टीव प्लान बनाये ताकि उसके कुदरती और दूसरे साधनों से पूरा काम लें और सब जिलों की आर्थिक और सामाजिक बुनियादों को एकसा मजबूत करें। अक्तूबर१९७२ में हुकूमत ने हर जिले का एक अलहदा प्लानिंग बोर्ड बनाया और उसको योजना की तजवीजें करने और पंच वर्षीय और सालाना योजना को चलाने और पूरा करने की जिम्मेदारी दी। चुने हुए नुमाइन्दो और प्रतिनिधियों को जिलावारी योजना के बनाने में शरीक करने के लिए शासनने हर जिले के लिए एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कन्सलटेटिव काउन्सिल भी कायम किया है और उसमें पार्लियामेंट और विधानमंडळ के सदस्यों को नामजद किया है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड ने अब पंच-वर्षीय योजनाओं की तजवीजें शासन की आम रहबरी में तैयार कर दी हैं और उनपर गौर किया जा रहा है। अगले चंद महीनों में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्डस् और स्टेट प्लानिंग बोर्ड में बातचीत के बाद इन तजवीजों को आखिरी शक्ल दी जायगी। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि पंच-वर्षीय और सालाना योजनाओं को इस तरह आखिरी शक्ल देने में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्डस् की राय का हर तरह ख्याल रक्खे।

जिलेवारी योजना के अलावा उन इलाकों के लिए जिनकी बिलकुल अपनी समस्याएं हैं (जैसे पच्छिमी घाट, आदिवासी और ऐसे इलाके जो पहाड़ी है और जहां पहुंचना मुश्किल है या वह जो अक्सर अकाल का शिकार होते हैं) शासन ने इलाकावारी योजनाएं बनाने का तसफिया किया है जिनका मंशा यह होगा कि उन इलाकों का मिलाजुला विकास हो ताकि उनके रहनेवाले जल्द सामाजिक और आर्थिक तरक्की कर सकें। जब यह खास इलाकावारी कार्यक्रम तैयार हो जायंगे तो उनको राज्य और जिलों की योजनाओं में समो दिया जायगा।

१८. जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में मुख्य मंत्री एक डेपुटेशन प्रधान मंत्री के पास ले गये जिसमें विधानमंडल के सदस्य और दूसरे अहम नुमाइन्दे शरीक थे। डेपुटेशन का मकसद यह था कि प्रधान मंत्री को महाराष्ट्र-कर्नाटक की सरहद के मसले के जल्द तसफिये को तरफ तवज्जोह दिलाये जो एक जमाने से रुका हुआ है। प्रधान मंत्री और यूनियन के होम मिनिस्टर उस मसले को अच्छी तरह जानते हैं और हाल ही में यानि २९ दिसम्बर १९७३ को उन्होंने उसके बारे में दोनों मुख्य मंत्रियों से बात की और शायद आपस के और ऐसे मशविरे फिर जरुरी होंगे। उनके फायदामंद होने के लिये यह लाजिम है कि शांति कायम रहे। हाल में इस सिलसिले में जो बदअमनी हुई उससे फिजा किसी कदर बिगड़ गयी है। इसलिए हमारी यह खास जिम्मेदारी है कि बातचीत से मुफीद नतीजे के पैदा होने के लिए हम फिजा को साफ रक्खें। मुझे पूरी अशा है कि इस मसले का जल्द खातिरखाह हल निकल आयेगा।

शासन ने कोल्हापुर, सातारा, सांगली और शोलापुर के जिलों में जो बेगुनाह इस सिलसिले में हंगामों का शिकार हुए उनको खाना, कपड़ा, घर जैसी सहायता दी और माली इमदाद और कर्जोंसे

उनको फिरसे अपने कामों और पेशों पर लग जाने और अपने टूटे घरों की मरम्मत के लिए मदद की। सहकारी बैंकों, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन और नेशनलाइज्ड किये हुए बैंकों से भी इन्तजाम किया गया है कि वह ऐसे लोगों की कर्ज की जरूरतों को पूरा करें जिनको सम्हलने के लिए ज्यादा रुपया दरकार है।

१९. विधानमंडल का यह इजलास खासकर बजट के अनुमानों की मंजूरी के लिए बुलाया गया है। उनके अलावा ६ दूसरे कानूनों के मसविदे आपके सामने हैं और ६ और जो हमारे विश्वविद्यालयों के बारे में हैं आपको उनकी ज्वायंट सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के तैयार होने पर पेश किये जायेंगे।

उनके अलावा कानून के जो दूसरे मसविदे आपकी मंजुरी के लिए इसी साल पेश होंगे वो ये हैं:—

1. A Bill to amend the Maharashtra Municipalities Act, 1965, the Maharashtra Municipalities (Amendment) Act, 1971, and the Maharashtra Municipalities Act, 1973.
2. An Ordinance to make provision in the Maharashtra Raw Cotton (Procurement, Processing and Marketing) Act, 1971 (Maharashtra Ordinance No. 1 of 1974)—Conversion into Act.
3. An ordinance to amend the Maharashtra Apartment Ownership Act, 1970 (Maharashtra Ordinance No. 2 of 1974)—Conversion into Act.
4. The Maharashtra Appropriation Bill, 1974.
5. The Maharashtra (Supplementary) Appropriation Bill, 1974.
6. Taxation Bills, if any.
7. A Bill to amend the Bombay Agricultural Pests and Diseases Act, 1947.
8. A Bill for regulation of supply and payment of arrears of cane price by sugar factories.
9. Irrigation Acts (Amendment) Bill.
10. A Bill to amend the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971.
11. A Bill to amend the Bombay Building Repairs and Reconstruction Board Act, 1969.
12. A Bill to amend the Maharashtra Agricultural Lands (Lowering of Ceiling on Holdings) Act, 1961.
13. A Bill to amend the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.
14. A Bill to amend the Bombay Municipal Corporation Act.
15. A Bill to amend the Industrial Disputes Act, 1947.

16. Maharashtra Agricultural University (K. V.) Act, 1967, Punjabrao Agricultural University (K. V.), Act, 1968, Marathwada Agricultural University (K .V.) Act, 1972 and Konkan Agriculture University (K. V.) Act, 1972—Amendment Bill.
17. A Bill for amending the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948, the Bombay Tenancy and Agricultural Lands (Vidarbha Region) Act, 1958, and the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, 1950.
18. A Bill to amend the Registration Act, 1938.
19. A Bill to amend the Maharashtra Gramdam Act, 1964.
20. A Bill to amend the Maharashtra Minor Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1969.
21. Education Bill.
22. A Bill to amend the Bombay Prevention of Gambling Act, 1887.
23. A Bill to amend the Motor Vehicles Act, 1930.
24. A Bill to amend the Bombay Rents Hotel and Lodging House Rates Control Act, 1947.
25. A Bill to amend the Bombay Provincial Municipal Corporations Act, 1940.
26. A Bill to provide for uniformity in the provisions of the Local Authorities Loans Act, 1914, in its application to the State of Maharashtra and further to amend the said Act.
27. A Bill to amend the Bombay Anatomy Act, 1949.
28. A Bill to amend the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.
29. A Bill to amend the Indian Divorce Act.
30. A Bill to amend the Bombay Civil Courts Act.
31. A Bill to amend the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961.
32. A Bill to amend the Bombay Village Panchayat Act, 1958.

२०. माननीय सदस्यो, मैंने कोशिश की है कि आपको मालूम करुं कि शासन की मुखतलिफ मैदानों में क्या नीतियाँ और क्या कार्यक्रम हैं। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जायगा हम आपकी पूरी मदद और सहयोग से उनका अच्छा फल पा सकेंगे।

• • •

येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे ४११००६.